

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 3001952016

दांडिक प्रकरण क.-348 / 2016

संस्थापित दिनांक-08.09.2016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। <div>.....अभियोजन</div>	
विरुद्ध	
01-इन्दरसिंह पुत्र हरनाम सिंह कुशवाह आयु 49 वर्ष निवासी ग्राम वाकलपुर, चंदेरी <div>.....आरोपी.....</div>	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री पठान अधिवक्ता।

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 07.09.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 324,323,294,341,506 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी एवं आरोपी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादवि की धारा 294,323,341 एवं 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 324 दो शीर्ष के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी गौरीशंकर ने दिनांक 26.08.16 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 26.08.16 को 15:30 बजे खैरा नाले के पास ग्राम वाकलपुर में आरोपी ने कुल्हाड़ी से मारपीट की और उसकी पत्नी प्रेमवाई के साथ भी मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 413/16 के अंतर्गत भादवि की धारा 324,323,294,341,506 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 324 दो शीर्ष , 323,294,341,506 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 26.08.16 को 15:30 बजे खैरा नाले के पास फरियादी गौरीशंकर एवं आहत प्रेमवाई को कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 गौरीशंकर एवं अ0सा02 प्रेमवाई की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की है।

08— अभियोजन साक्षी 01 गौरीशंकर ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को आरोपी से उसका वाद विवाद हो गया था जिस पर से उसने आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट लेखवद्ध करा दी थी। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी ने धक्का मुक्की कर दी थी। इसी प्रकार अ0सा02 ने अपने कथन में बताया है कि आरोपी ने धक्का मुक्की की थी। दोनों साक्षीगण ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने कुल्हाड़ी से मारपीट की थी। दोनों साक्षीगण ने पुलिस कथन प्र0पी03 एवं 04 देने से इंकार किया है। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है मामले के फरियादी एवं आहत ने अपने कथनों में यह नहीं बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादी एवं आहत के साथ कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की गई।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 324 दो शीर्ष के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुल्हाड़ी मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)